

No. F. 10(1070)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10466.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Quippo, Infrastructure Equipment Limited, D-2, Southern Park, 5th Floor, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,37,420 (Rs. Two Lac Thirty Seven Thousand Four Hundred Twenty) only on the aggregate value of shares of Rs. 23,74,19,810 for equity Share certificates with distinctive Nos. 8,30,96,923 to 10,68,38,903 to be issued by the said company.

दिल्ली, 17 फरवरी, 2010

सं. फा. 10 (1091)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10503.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 115, असल भवन, 16, के.जी. मार्ग नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 67,39,23,950 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11,43,47,701 से 12,39,75,185 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 6,73,924 (रुपये छः लाख तिहत्तर हजार नौ सौ चौबीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 17th February, 2010

No. F. 10(1091)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10503.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ansal Properties and Infrastructure Limited, 115, Ansal Bhawan, 16, K.G. Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.6,73,924 (Rs.Six Lac Seventy Three Thousand Nine Hundred Twenty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 67,39,23,950 for equity Share certificates with distinctive Nos. 11,43,47,701 to 12,39,75,185 to be issued by the said company.

दिल्ली, 18 फरवरी, 2010

सं.फा. 10 (1081)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10516.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 15th February, 2010

No. F. 10 (1075)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10454.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Global Steel Tubes Limited, 302, 3rd Floor, Padma Tower-I, Rajendra Place, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,55,100 (Rs. One Lac Fifty Five Thousand One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,51,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 4,70,45,001 to 6,25,55,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1070)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10466.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्विपो इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट लि. डी-2, साउदर्न पार्क, पांचवीं मंजिल, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 23,74,19,810 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8,30,96,923 से 10,68,38,903 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,37,420 (रुपये दो लाख सैंतीस हजार चार सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेतएम्बिट वेल्युफर्स्ट एण्ड इ सर्विसेज लि., ग्राउंड फ्लोर, बी-1/5ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 60,39,363 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,68,517 से 1,87,032 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 6040 (रुपये छः हजार चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 18th February, 2010

No. F. 10(1081)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10516.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Netambit Value First Services Limited, Ground Floor, B-1/5A, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6040 (Rs. Six Thousand forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 60,39,363 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1,68,517 to 1,87,032 to be issued by the said company.

सं.फा. 10 (1082)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 10517.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेतएम्बिट इन्फोसोर्स एण्ड इ सर्विसेज प्रा. लि., ग्राउंड फ्लोर, बी-1/5ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 39, 29, 42, 200 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 29, 717 से 29, 816 और प्रिफरेंस शेयर (सीरीज बी) जिनकी पृथक संख्या पी-10000001 से पी-10040000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3,92,943 (रुपए तीन लाख बयानवें हजार नौ सौ तैंतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1082)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 10517.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Netambit Infosource and e-Services Private Limited, Ground Floor, B-1/5A, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,92,943 (Rs. Three Lac Ninety Two Thousand Nine Hundred Forty Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 39, 29, 42, 200 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 29,717 to 29, 816 and series 'B' preference share certificates with distinctive No. P-10000001 to P-10040000 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1085)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 10518.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेन्डीन रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स मैनेजमेंट प्रा. लि., 84-ई, सी-6 लेन, ऑफ सेन्ट्रल एवन्यु, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9, 00, 000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 900 (रुपये नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1085)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 10518.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mandarin Resorts and Hotels Management Private Limited, 84-E, C-6 Lane, Off Central Avenue, Sainik Farms, New Delhi-110062, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 900 (Rs. Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1084)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 10519.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैं इटरनल पावर प्रा. लि., 165-सी, पाकेट-बी, मयूर विहार, फेस-II, नई दिल्ली-110091, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00,001ए से 10,000ए है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1084)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 10519.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Eternal Power Private Limited, 165-C, Pocket-B, Mayur Vihar, Phase-II, New Delhi-110091, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 00001A to 10,000A to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1088)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10520.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गोइन्दी इन्जीनियरिंग वकर्स प्रा. लि., टी-3, कृष्णा प्लाजा, लोकल शोपिंग सेन्टर, मयूर विहार, फेस-2, दिल्ली-110091 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,06,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,90,001 से 26,72,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,690 (रुपये तीस हजार छः सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1088)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10520.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Goindi Engineering Works Private Limited, T-3, Krishna Plaza, Local Shopping Centre, Mayur Vihar, Phase-II, Delhi-110091, shall pay a consolidated stamp duty of Rs.30,690 (Rs.Thirty Thousand Six Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,06,90,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 19,90,001 to 26,72,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(1089)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10521.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गोइन्दी इन्जीनियरिंग वकर्स प्रा. लि., टी-3, कृष्णा प्लाजा, लोकल शोपिंग सेन्टर, मयूर विहार, फेस-2, दिल्ली-110091 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,51,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 26,72,001 से 34,52,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 35,100 (रुपये पैंतीस हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10 (1089)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10521.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Goindi Engineering Works Private Limited, T-3, Krishna Plaza, Local Shopping Centre, Mayur Vihar, Phase-II, Delhi-110091, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 35,100 (Rs.Thirty Five Thousand One Hundred) only on the

aggregate value of shares of Rs. 3,51,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 26,72,001 to 34,52,000 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1077)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10522.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,72,80,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल नन कम्प्यूलेटिव, टैक्सेबल बॉण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 000011726 (सीरीज 62-बी) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(1077)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10522.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1172,60,00,000 for issue of unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 62B bearing distinctive No. 00000001 to 000011726 to be issued by the said company.

सं.फा. 10(1076)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10523.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., उर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 845,40,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल नन कम्प्यूलेटिव, टैक्सेबल बॉण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00008454 (सीरीज 62-ए) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव(राजस्व)

No. F. 10(1076)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10523.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 845,40,00,000 for issue of unsecured, redeemable, Non Convertible, Non cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 62A bearing distinctive No. 00000001 to 00008454 to be issued by the said company.

By Order
of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)

रा
ज
दो
अ
त

ज

वि
नि

नि

प
प

द